न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**
प्रकरण संख्या – 519/2023
अनवान : –

1. धर्मपाल पुत्र भागुराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी चक 16–17 केएनएन तहसील नोहर।
2. मनीराम पुत्र भागुराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी चक 16–17 केएनएन तहसील नोहर।
3. राजपाल पुत्र भागुराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी चक 16–17 केएनएन तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. साहिबसिंह पुत्र निरंजनसिंह जाति जटसिख निवासी मक्कासर तहसील हनुमानगढ़।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
3. उप पंजीयक नोहर तहसील नोहर।
4. इकबालसिंह पुत्र निरंजनसिंह जाति जटसिख निवासी चक 16–17 केएनएन तहसील नोहर।
5. गुरमैलसिंह पुत्र निरंजनसिंह जाति जटसिख निवासी चक 16–17 केएनएन तहसील नोहर।
6. जसपालसिंह पुत्र निरंजनसिंह जाति जटसिख निवासी चक 16–17 केएनएन तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री विजयसिंह कड़वासरा अधिवक्ता **वादी**
श्री रविन्द्र गोदारा अधिवक्ता **प्रतिवादीगण**

निर्णय दिनांकः 24/12/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा चक 16 केएनएन तहसील नोहर के खाता स0 69/69 की कुल 1.3660 हैक्ट भूमि वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 के नाम संयुक्त खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादी संख्या 1 ने अपनी उक्त खातेदारी भूमि में से दिनांक 15.07.2011 को प्रतिवादी संख्या 1 को 40 हिस्सा भूमि रज़िस्टर्ड बैयनामा फरोख्त कर दी तथा प्रतिवादी संख्या 1 अकेला 40 हिस्सा का खातेदार काश्तकार है।

प्रतिवादी संख्या 1 के हाल राजस्व रिकार्ड में 40 हिस्सा से अधिक भूमि सहवन से दर्ज हो गयी जो की वर्तमान में 536/1341 हिस्सा गलत दर्ज है। प्रतिवादी संख्या 1 के नाम उसके खरीद से ज्यादा भूमि दर्ज हो गयी प्रतिवादी संख्या 1 उक्त वाद भूमि में से 40 हिस्सा यानि की 0.506 हैक्ट भूमि से ज्यादा भूमि प्राप्त [illegible] अधिकारी नही है।

प्रतिवादी संख्या 1 अपनी [illegible] दर्ज सहित भूमि का न्यायालय हाजा में वाद स0 619/2020 अनवानी इकबालसिंह बनाम साहिब सिंह आदि [illegible]क 22.10.2020

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.12.27 13:36:11 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

इस दावा के प्रतिवादीगण नम्बर 4 ता 6 जो इस दावा प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 सीपीसी के तहत पक्षकार बने है के पक्ष में डिक्री करवा दिया मगर इस दावा के प्रतिवादीगण संख्या 4 ता 6 अकेले 40 हिस्सा तक ही डिक्री अपने पक्ष में करवाने के अधिकारी है। शेष भूमि के लिए प्रतिवादीगण संख्या 4 ता 6 को कोई टेनेन्सी अधिकार प्राप्त नही होते है। मगर हाल राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम उसकी खरीदशुदा भूमि 40 हिस्सा से ज्यादा दर्ज है तथा प्रतिवादीगण संख्या 4 ता 6 के पक्ष में खरीदशुदा भूमि से ज्यादा की निर्णय व डिक्री है जो वादीगण संख्या 1 ता 3 के हकूक के खिलाफ प्रभावहीन व शुन्य है। वादीगण अपने खातेदारी हकूक की घोषणा करवाकर प्रतिवादीगण संख्या 40 हिस्सा यानि 0.506 हैक्ट खातेदारी दर्ज करवा पाने के अधिकारी है तथा शेष भूमि वादीगण संख्या 1 ता 3 अपने आपको खातेदार काश्तकार दर्ज करवा पाने का अधिकारी है। यही बिनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं0 4 ता 6 ने जरिये अधिवक्ता वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 4 ता 6 को कोई ऐतराज नही है। प्रतिवादी संख्या 2 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य जमाबंदी रोही मौजा 16 केएनएन सम्वत 2073–76 खाता स0 69, रोही मोजा 16 केएनएन सम्वत 2073–76 खाता स0 74/59, न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नोहर प्रकरण संख्या 619/2020 निर्णय दिनांक 22.10.2020 की चित्रप्रति पेश किये जो की शामिल मिसल किये गये।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि प्रतिवादी संख्या 1 के हाल राजस्व रिकार्ड में 40 हिस्सा से अधिक भूमि सहवन से दर्ज हो गयी जो की वर्तमान में 536/1341 हिस्सा ... दर्ज है ... संख्या 1 के नाम उसके खरीद से ज्यादा भूमि दर्ज हो गयी प्रतिवादी संख्या 1 ... 40 हिस्सा यानि की 0.506 हैक्ट भूमि से ज्यादा भूमि प्राप्त करने का अधिकारी है। प्रतिवादी संख्या 1 अपनी खरीद शुदा भूमि से ज्यादा दर्ज सहित भूमि का न्यायालय ... में वाद स0 619/2020 अनवानी

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.12.27 13:36:11 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

इकबालसिंह बनाम साहिब सिंह आदि दिनांक 22.10.2020 इस दावा के प्रतिवादीगण नम्बर 4 ता 6 जो इस दावा प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 सीपीसी के तहत पक्षकार बने है के पक्ष में डिक्री करवा दिया मगर इस दावा के प्रतिवादीगण संख्या 4 ता 6 अकेले 40 हिस्सा तक ही डिक्री अपने पक्ष में करवाने के अधिकारी है। शेष भूमि के लिए प्रतिवादीगण संख्या 4 ता 6 को कोई टेनेन्सी अधिकार प्राप्त नही होते है। मगर हाल राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम उसकी खरीदशुदा भूमि 40 हिस्सा से ज्यादा दर्ज है तथा प्रतिवादीगण संख्या 4 ता 6 के पक्ष में खरीदशुदा भूमि से ज्यादा की निर्णय व डिक्री है जो वादीगण संख्या 1 ता 3 के हकूक के खिलाफ प्रभावहीन व शुन्य है। वादीगण अपने खातेदारी हकूक की घोषणा करवाकर प्रतिवादीगण संख्या 40 हिस्सा यानि 0.506 हैक्ट खातेदारी दर्ज करवा पाने के अधिकारी है तथा शेष भूमि वादीगण संख्या 1 ता 3 अपने आपको खातेदार काश्तकार दर्ज करवा पाने का अधिकारी है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नही है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति/ हको के निर्धारण का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक 16 केएनएन तहसील नोहर के खाता स0 69/69 की कुल 1.3660 हैक्ट भूमि वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 के नाम संयुक्त खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादीगण का कथन है कि वादी संख्या 1 ने अपनी उक्त खातेदारी भूमि में से दिनांक 15.07.2011 को प्रतिवादी संख्या 1 को 40 हिस्सा भूमि रजिस्टर्ड बैयनामा फरोख्त कर दी तथा प्रतिवादी संख्या 1 अकेला 40 हिस्सा का खातेदार काश्तकार है। वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 1 के हाल राजस्व रिकार्ड में 40 हिस्सा से अधिक भूमि सहवन से दर्ज हो गयी जो की वर्तमान में 536/1341 हिस्सा गलत दर्ज है। प्रतिवादी संख्या 1 के नाम उसके खरीद से ज्यादा भूमि दर्ज हो गयी प्रतिवादी संख्या 1 उक्त वाद भूमि में से 40 हिस्सा यानि की 0.506 हैक्ट भूमि से ज्यादा भूमि प्राप्त करने का अधिकारी नही है। प्रतिवादी संख्या 1 अपनी खरीद शुदा भूमि से ज्यादा दर्ज सहित भूमि का न्यायालय हाजा में वाद स0 619/2020 अनवानी इकबालसिंह बनाम साहिब सिंह आदि दिनांक 22.10.2020 इस दावा के प्रतिवादीगण नम्बर 4 ता 6 जो इस दावा प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 सीपीसी के तहत पक्षकार बने है के पक्ष में डिक्री करवा दिया मगर इस दावा के प्रतिवादीगण संख्या 4 ता 6 अकेले 40 हिस्सा तक ही डिक्री अपने पक्ष में करवाने के अधिकारी है। शेष भूमि के लिए प्रतिवादीगण संख्या 4 ता 6 को कोई टेनेन्सी अधिकार प्राप्त नही होते है। मगर हाल राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम उसकी खरीदशुदा भूमि 40 हिस्सा से ज्यादा दर्ज है तथा प्रतिवादीगण संख्या 4 ता 6 के पक्ष में खरीदशुदा भूमि से ज्यादा की निर्णय व डिक्री है जो वादीगण संख्या 1 ता 3 के हकूक के खिलाफ प्रभावहीन व शुन्य है। वादीगण अपने खातेदारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.12.27 13:56:11 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

हकूक की घोषणा करवाकर प्रतिवादीगण संख्या 40 हिस्सा यानि 0.506 हैक्ट खातेदारी दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल पेश किया गया है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण को कोई ऐतराज नही है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत चित्रपति उपखण्ड अधिकारी नोहर प्रकरण संख्या 619/2020 निर्णय दिनांक 22.10.2020 के अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 ने उक्त वाद भूमि में से अपना समस्त हक हिस्सा प्रतिवादीगण संख्या 3 ता 6 के नाम दर्ज करवा दी थी। वादीगण का कथन है कि वाद भूमि में से 0.506 हैक्ट भूमि के वादीगण खातेदार काश्तकार है एवं शेष 0.8600 हैक्ट भूमि के वादीगण खातेदार काश्तकार है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के उक्त कथनों को स्वीकार किया गया है। अतः वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा रोही मौजा 16 केएनएन तहसील नोहर के खाता स0 69/69 की कुल 1.3360 हैक्ट भूमि में प्रतिवादीगण संख्या 4 ता 6 तीनो को 40 हिस्सा यानि 0.506 हैक्ट के बहिब खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व शेष 0.8600 हैक्ट भूमि का वादीगण संख्या 1 ता 3 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 24/12/2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.12.27 13:56:11 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 519/2023

अनवान : –

1. धर्मपाल पुत्र भागुराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी चक 16–17 केएनएन तहसील नोहर।
2. मनीराम पुत्र भागुराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी चक 16–17 केएनएन तहसील नोहर।
3. राजपाल पुत्र भागुराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी चक 16–17 केएनएन तहसील नोहर।

– वादीगण

बनाम्

1. साहिबसिंह पुत्र निरंजनसिंह जाति जटसिख निवासी मक्कासर तहसील हनुमानगढ़।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
3. उप पंजीयक नोहर तहसील नोहर।
4. इकबालसिंह पुत्र निरंजनसिंह जाति जटसिख निवासी चक 16–17 केएनएन तहसील नोहर।
5. गुरमैलसिंह पुत्र निरंजनसिंह जाति जटसिख निवासी चक 16–17 केएनएन तहसील नोहर।
6. जसपालसिंह पुत्र निरंजनसिंह जाति जटसिख निवासी चक 16–17 केएनएन तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 519 सन 2023 निर्णय दिनांक 24/12/2024

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादीगण श्री रविन्द्र गोदारा एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा रोही मौजा 16 केएनएन तहसील नोहर के खाता स0 69/69 की कुल 1.3360 हैक्ट भूमि में प्रतिवादीगण संख्या 4 ता 6 तीनो को 40 हिस्सा यानि 0.506 हैक्ट के बहिब खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व शेष 0.8600 हैक्ट भूमि का वादीगण संख्या 1 ता 3 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 24/12/2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.12.27 13:56:11 IST
Reason: SelfAttested

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर